| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>वैनाराम वगैरा बनाम सरकार<br>धारा 131 136<br>प्रकरण सख्या 126 /2021 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| पत्रावली आज प्रस्तुत की गई, प्रकरण में प्रार्थीगण वेनाराम व अन्य ने धारा 131 व 136 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भुमि ग्राम मोगड़ा कला के खसरा नंबर 18 रकबा 2. 6062 हेक्टर अर्थात् 16.02 बीघा एवं खसरा नंबर 18/2 रकबा 1.1331 हेक्टर अर्थात 7 बीघा की तरमीम दुरस्त करने एवं तरमीम दुरस्त अनुसार रकबा में संशोधन की प्रार्थना की है प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है तहसीलदार लूणी को जवाब हेतु स्मरण पत्र लिखा गया तत्पश्चात् तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा मौका रिपोर्ट/जवाब क्रमांक ध्स्त्ध22ध1353 दिनांक 10/3/22 द्वारा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार नामांतरकरण संख्या 110 बंटवाडा अनुसार दोनो खसरान बस्ताराम पुत्र सोनाराम एवं लाबूराम पुत्र रावतराम के मध्य आधा आधा विभाजन दर्ज हुए। दोनो खसरान के खातेदार बंटवारे के विपरीत मौके पर काबिज चले आ रहे है तथा लाबुराम के वारिशान प्रार्थीगण पोलाराम व वेनाराम मौका स्थिति/काबिज स्थिति अनुसार तरमीम व रकबा दुरस्त करवाना चाहते है साथ ही मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा प्रस्तुत किया दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस खसरा नक्शा की प्रति प्रस्तुत की तथा मौका स्थिति अनुसार तरमीम व रकबा दुरस्त करने की मांग की । पत्रावली व रिपोर्ट तथा प्रस्तुत राजस्व नक्शे का अवलोकन किया कि प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा धारा 131 मे राजस्व नक्शे को दुरस्त करने हेतु अनुरोध किया जबकि पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा एव आनलाइन जारी नक्शे मे किसी प्रकार की त्रुटि दर्शित नही होती है ऐसी स्थिति मे मात्र कब्जे को मानकर राजस्व नक्शे मे परिवर्तन नही किया जा सकता ओर धारा 136 मे मात्र लिपिक की त्रुटि को दुरस्त करने के प्रावधान है ऐसी परिस्थित मे उपरौक्त प्रकरण मे कोई लिपिक की त्रुटि प्रकट नही होती है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। | |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी